प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, कोटा देहात थाना :– प्र.आ.केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022 प्र0सू0रि0 सं0 06/22 दिनांक 10/1/22

2. (1) अधिनियम– पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 धाराऐं–7,7ए पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018

(2) अधिनियम– भारतीय दण्ड संहिता धाराऐं –120बी भा.द.स.

(3) अधिनियम.....धाराऐं.....

(4) अन्य अधिनियम एवं ..... धाराऐं .....

3. (क) घटना का दिन व दिनांक :–बुधवार दिनांक– 07.01.2022

(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 05.01.2022 समय :– 01:00 पी.एम.

(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 248 समय 3:10 P.M.

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–

(क) थाने से दिशा एवं दूरी –ए.सी.बी. कोटा देहात से करीब 01 कि.मी. बजानिब पश्चिम

बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....

(ख) पता:– कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–

(क) नाम :– श्रीमती राधा गुप्ता

(ख) पिता का नाम :– स्व. श्री रमेशचन्द्र

(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 65 साल

(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय

(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान

(च) व्यवसाय –

(छ) पता :– मकान नं. 33/515 जमना पान भण्डार के पास, सब्जीमण्डी कोटडी कोटा

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

(1) श्री नरेन्द्र निर्भीक पुत्र स्वाधीन निर्भीक जाति खटीक उम्र 35 साल निवासी मकान नं. 14/7 सार्वजनिक निर्माण विभाग, कॉलोनी विज्ञाननगर कोटा हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदाकर्मी जरिये फर्म साक्षी कम्प्यूटर्स, कोटा।

(2) श्री रविन्द्र गोस्वामी पुत्र श्री रामकुमार पुरी जाति गोस्वामी उम्र 42 साल निवासी पुरानी कुई के पास, सैफिया स्कुल के पास, अनन्तपुरा कोटा हाल कनिष्ठ सहायक नगर निगम कोटा दक्षिण कोटा।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः –9000 रूपये

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

वाक्यात मामला हाजा इस प्रकार है कि दिनांक 05.01.2022 को 01.00 पी.एम. पर परिवादिया श्रीमती राधा गुप्ता पत्नी रमेशचंद जाति महाजन उम्र 65 वर्ष निवासी 33/515 जमना पान भण्डार के पास सब्जीमण्डी कोटडी कोटा ने अपने पोते श्री पंकज गुप्ता के साथ उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थन पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया कि मैं 65 वर्ष की बुजुर्ग विधवा महिला हूं। इस समय राज्य सरकार द्वारा भू–खण्डों के पट्टे बनाये जाने का अभियान चलाया जा रहा है। कोटा शहर के कोटडी क्षेत्र में करीब 35–40 वर्ष पहले का मेरे पति श्री रमेशचंद्र जी का खरीदा हुआ मकान है। जिसका अभी तक पट्टा नहीं बना हुआ है। इस भूखण्ड का पट्टा नगर निगम कोटा दक्षिण के द्वारा जारी किया जाना है। मैनें नगर निगम कोटा दक्षिण में करीब दो माह पूर्व की सारा रिकॉर्ड जमा करवाकर आवेदन कर दिया। फिर उसी समय करीब नवम्बर 2021 के माह में मेरे पास नगर निगम कोटा दक्षिण के कर्मचारी श्री रविन्द्र गोस्वामी का फोन आया मुझे नगर निगम बुलाया। जब मैं नगर निगम पहुॅची तो वह श्री रविन्द्र गोस्वामी ने मुझे श्री नरेन्द्र निर्भीक से मिलाया और कहा कि इनसे मिल लेना ये तुम्हारा काम करवा देगें तुम इनकी सेवा पानी कर देना। फिर जब मैं श्री नरेन्द्र निर्भीक से नगर निगम कोटा दक्षिण के कार्यालय में जाकर मिली तो नरेन्द्र निर्भीक ने मेरे जायज काम पट्टा बनवाने के लिए 12 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। नरेन्द्र निर्भीक से मेरी किसी प्रकार की कोई रंजीश या किसी प्रकार का कोई उधारी इत्यादि लेनदेन शेष नहीं है। मैं नगर निगम कोटा दक्षिण के कर्मचारी नरेन्द्र निर्भीक को रिश्वत नहीं देना चाहती हुॅ। उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहती हुॅ। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें। एस.डी. राधा गुप्ता कार्यवाही ब्यूरो :–प्रमाणित किया जाता है कि रिपोर्ट हाजा परिवादिया श्रीमती राधा गुप्ता पत्नी स्व.श्री रमेशचंद्र महाजन निवासी सब्जीमण्डी कोटडी कोटा ने अपने पौत्र की हस्तलिखित तहरीर पेश की। परिवादिया के मजमून प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाफ्त पर बताया कि मैने करीब दो माह पहले पट्टे के लिए आवेदन किया था। मेरे पास नवम्बर 2021 के महिने में नगर निगम कोटा से फोन आया और मुझे बताया कि आपका पट्टा खारिज हो गया है आप यहां आकर मिलो। मैं नगर निगम में जाकर मिली तो वहॉ बैठे एक कर्मचारी ने मुझे नरेन्द्र निर्भीक से मिलने को कहा। फिर नरेन्द्र निर्भीक ने कहा कि मैं आपका सारा काम करवाकर पट्टा दिलवा दूंगा इसमें कुछ डाक्यूमेंट कम है जिन्हें में कम्पलीट करके आपको बता दूंगा। फिर इन्होनें मुझे विज्ञाननगर बुलाया और इन्होनें मुझसे 1000रू लिये और बाकि पैसों के लिए फोन कर बताने को कहा। जब में दो दिन पहले नगर निगम में नरेन्द्र निर्भीक से मिली तो इन्होनें मुझसे 12 हजार रू मांगे। मेरे काफी निवेदन करने पर भी नरेन्द्र निर्भीक ने रूपये कम नहीं किये। मै बहुत परेशान हुॅ। मैं नरेन्द्र निर्भीक को मेरे जायज काम के पैसे नहीं देना चाहती हुॅ। मेरा व नरेन्द्र निर्भीक का कोई लेनदेन बकाया नहीं है। कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाया और परिवादी से परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र देकर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। दिनांक 05.01.2022 समय 01:30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादिया एवं परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को लेकर अपने कक्ष में आया जहां परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं परिवादिया से आवश्यक पूछताछ की गई। परिवादिया ने पूर्व में बताई गई बातों को दोहराया परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांग व लेनदेन का पाया जाने से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। समय 02:20 पी.एम. पर कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाया जाकर परिवादिया श्रीमती राधा गुप्ता को चलाने व बंद करने की प्रक्रिया समझाकर सुपुर्द किया तथा आरोपी श्री नरेन्द्र निर्भीक से रिश्वत मांग के संबंध में बातचीत कर वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की मुनासिब हिदायत कर श्रीमती कीर्ति चौधरी महिला कानि. को परिवादिया के हमराह निगरानी हेतु नगर निगम कोटा दक्षिण रवाना किया, जिसकी फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 03:20 पी.एम. पर परिवादिया श्रीमती राधा गुप्ता मय श्रीमती कीर्ति चौधरी महिला कानि. के कार्यालय में उपस्थित आई। परिवादिया ने अपने पास से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर मौखिक बताया कि मैं यहां से रवाना होकर नगर निगम कोटा दक्षिण पहुॅची। जहॉ मैनें इन्हें थोडी दूर खडा कर दिया था। फिर मैं नरेन्द्र निर्भीक से मिली। नरेन्द्र निर्भीक मुझे लेकर छत पर गया। जहॉ नरेन्द्र निर्भीक ने मुझसे रिश्वत लेने संबंधी बातचीत की थी। मैनें बातचीत से पहले टेप रिकॉर्डर चालू कर लिया था। नरेन्द्र निर्भीक 9000रूपये लेने हेतु राजी हो गया है। बातचीत होने के बात मैनें नीचे आकर रिकॉर्डर बंद लिया था। श्रीमती कीर्ति चौधरी महिला कानि. ने परिवादिया के कथनों की ताईद की। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस